न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 539 सन 2019

अनवान :–

1. चेतराम पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वा

दी

बनाम

1. हरिसिह पुत्र खुबीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजपाल पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रजीत पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मुकेश पुत्र इन्द्रजीत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. मोनिका पुत्री इन्द्रजीत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. ममता पुत्री इन्द्रजीत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सोनिका पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सुमित्रा पुत्री हरीसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 7/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 54/55 की कुल 3.2760हैक में 2/9 हिस्सा तथा खाता संख्या 124/115 की कुल 0.506हैक में से 1/3 हिस्सा , खाता संख्या 125/114 की कुल 1.0110हैक व खाता संख्या 126/111 की कुल 4.3750हैक तथा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 152/133 की कुल 2.049हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा खूवीराम एवं पूर्वजो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा खूबीराम एवं पूर्वजों के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से भूमि खरीद भी की गई है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह भी पेतृक सम्पति की श्रेणी में आती है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा खूबीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से एवं पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पुत्र की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने बाहमी बटवारा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता खूबीराम एव वादी के पूर्वजों के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ,जो वादी की बहने/बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री पुत्र की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 54/55 की कुल 3.2760हैक में 2/9 हिस्सा तथा खाता संख्या 124/115 की कुल 0.506हैक में से 1/3 हिस्सा , खाता संख्या 125/114 की कुल 1.0110हैक व खाता संख्या 126/111 की कुल 4.3750हैक तथा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 152/133 की कुल 2.049हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा खूवीराम एवं पूर्वजो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा खूबीराम एवं पूर्वजों के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से भूमि खरीद भी की गई है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह भी पेतृक सम्पति की श्रेणी में आती है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा खूबीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से एवं पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पुत्र की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 309 ,1991 आर.आरडी पेज 540(बी) 1984 आरआरडी पेज 862 एवं 1976 एआईआर पेज 807 जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88(25) को मान्यता दी गई कि सयुक्त परिवार की सम्पति में हर सदस्य का हिस्सा बराबर है एवं आपसी सहमति से कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसी प्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 54/55 की कुल 3.2760हैक में 2/9 हिस्सा तथा खाता संख्या 124/115 की कुल 0.506हैक में से 1/3 हिस्सा , खाता संख्या 125/114 की कुल 1.0110हैक व खाता संख्या 126/111 की कुल 4.3750हैक तथा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 152/133 की कुल 2.049हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि खूबीराम एवं उसके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा खूबीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा खूबीराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है एवं खूबीराम ने सयुक्त परिवार की आय से एवं पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि का कुछ हिस्सा खरीद भी किया गया है पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई सम्पति एवं विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,5 ता 8 जो वादी की बहने/बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 54/55 की कुल 3.2760हैक में से 2/9 हिस्सा भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 124/115 की कुल 0.506हैक तथा खाता संख्या 125/114 की कुल 1.0110हैक एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 292/251 की कुल 1.7780हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 152/133 की कुल 2.049हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पास रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 126/111 की कुल 4.3750हैक बहिब भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 7/8/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. चेतराम पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 हरिसिह पुत्र खुबीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजपाल पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. इन्द्रजीत पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मुकेश पुत्र इन्द्रजीत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. मोनिका पुत्री इन्द्रजीत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. ममता पुत्री इन्द्रजीत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. सोनिका पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुमित्रा पुत्री हरीसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 539 सन 2019 निर्णय दिनांक– 7/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 54/55 की कुल 3.2760हैक में से 2/9 हिस्सा भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 124/115 की कुल 0.506हैक तथा खाता संख्या 125/114 की कुल 1.0110हैक एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 292/251 की कुल 1.7780हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 152/133 की कुल 2.049हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पास रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 126/111 की कुल 4.3750हैक बहिब भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)